रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03042023-244899
CG-DL-E-03042023-244899

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 73] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 31, 2023/चैत्र 10, 1945
No. 73] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 31, 2023/CHAITRA 10, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2023

[मामला सं. एडी (एसएसआर) 02/2023]

विषय: चीन जन.गण.के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "70 एलईए काउंट से कम के फ्लैक्स यार्न" के आयात पर लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत।

1. फा. संख्या 7/03/2023-डीजीटीआर: समय समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे ''अधिनियम'' भी कहा गया है) और उसकी समय समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" या "पाटनरोधी नियमावली" भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए मैसर्स ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जय श्री टेक्सटाइल्स) और सिंटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जिन्हें आगे ''आवेदक'' या "घरेलू उद्योग" भी कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है, जिसमें चीन जन.गण. (जिसे आगे ''संबद्ध देश'' भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "70 एलईए काउंट से कम के फ्लैक्स यार्न (जिसे आगे "विचाराधीन उत्पाद" या ''पीयूसी'' या "संबद्ध वस्तु" भी कहा गया है) के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा करने का अनुरोध किया गया है।

2. अधिनियम की धारा **9**क**(5)** के अनुसार**,** लागू पाटनरोधी शुल्क यदि पहले न हटाया जाए**,** तो उसे लगाने की तारीख से पांच वर्ष की समाप्ति के बाद निष्प्रभावी हो जाता है और प्राधिकारी के लिए यह समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। इसके अनुसार**,** प्राधिकारी के लिए घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवत् रूप से साक्ष्यांकित अनुरोध के आधार पर यह समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

क. पूर्ववर्ती जांच की पृष्ठभूमि

3. प्राधिकारी ने मूल जांच शुरु की थी और अधिसूचना सं. **6/3/2018/**डीजीएडी दिनांक **18** सितंबर**, 2018** के माध्यम से संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करते हुए अंतिम जांच परिणाम अधिसूचित किए थे। तत्पश्चात केन्द्र सरकार ने सीमा शुल्क अधिसूचना सं. **53/2018-**सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक **18** अक्तूबर**, 2018** के माध्यम से पाटनरोधी शुल्क लगाया था। उक्त शुल्क **5** वर्ष की अवधि के लिए लगाया गया था। यह शुल्क **17** अक्तूबर**, 2023** को समाप्त होना निर्धारित है।

ख. विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी)

4. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद मूल जांच में यथा-परिभाषित के समान है जो निम्नानुसार है:

> "7.वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद "70 एलईए काउंट से कम का फ्लैक्स यार्न (42 एनएम के समतुल्य)" है।
>
> *8.फ्लैक्स यार्न एक प्राकृतिक सेलुलोसिक फाइबर होता है जिसमें प्राकृतिक रूप से एंटीमाइक्रोबाइल, एंटीफंगल विशेषताएं होती हैं। इस यार्न को आमतौर पर 100 प्रतिशत फ्लैक्स फाइबर से बनाया जाता है और लाइनेन यार्न या फ्लैक्स यार्न कहा जाता है। फ्लैक्स फाइबर को फ्लैक्स यार्न या लाइनेन यार्न बनाने के लिए अन्य फाइबर के साथ मिश्रित भी किया जा सकता है। फ्लैक्स यार्न का प्राथमिक उपयोग फ्लैक्स फैब्रिक का निर्माण है। फ्लैक्स फैब्रिक को परिधान और घरेलू वस्त्र में प्रयोग किया जाता है।*
>
> *9.सभी अन्य प्राकृतिक सुल्युलोसिक फाइबर जैसे कपास, हैम्प, जूट और रैमी वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर हैं। 70 या उससे अधिक एलईए फ्लैक्स यार्न विचाराधीन उत्पाद के दायरे से स्पष्ट रूप से बाहर हैं।"*

5. फ्लैक्स यार्न को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय **53** (अन्य वेजिटेबल टेक्सटाल फाइबर**;** पेपर यार्न और पेपर यार्न से बुने फैब्रिक) के अन्तर्गत शीर्ष **5306** और उपशीर्ष **53061090** तथा **53062090** के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाता है। एचएस कोडो को केवल सांकेतिक माना जाता है और उत्पाद का वर्णन वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ निर्णायक है।

6. चूंकि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है**,** इसलिए विचाराधीन उत्पाद वही रहेगा जैसा फाइल सं. **6/3/2018-**डीजीएडी दिनांक **18** सितंबर**, 2018** के अधीन हुई पूर्ववर्ती जांच में परिभाषित है।

ख.1 उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन)

7. आवेदकों ने मूल जांच में यथा विचारित समान पीसीएन का प्रस्ताव किया है:

क्र.सं.	***एलईए श्रेणी***	***एनएम श्रेणी***	***पीसीएन***
1	*5 एलईए तक*	*3 एनएम तक*	*01*
2	*5 से अधिक और 10 तक*	*3 से अधिक और 6 तक*	*02*
3	*10 से अधिक और 15 तक*	*6 से अधिक और 9 तक*	*03*
4	*15 से अधिक और 20 तक*	*9 से अधिक और 12 तक*	*04*
5	*20 से अधिक और 25 तक*	*12 से अधिक और 15 तक*	*05*
6	*25 से अधिक और 30 तक*	*15 से अधिक और 18 तक*	*06*

7	*30 से अधिक और 35 तक*	*18 से अधिक और 21 तक*	*07*
8	*35से अधिक और 40 तक*	*21 से अधिक और 24 तक*	*08*
9	*40 से अधिक और 45 तक*	*24 से अधिक और 27 तक*	*09*
10	*45 से अधिक और 50 तक*	*27 से अधिक और 30 तक*	*10*
11	*50 से अधिक और 55 तक*	*30 से अधिक और 33 तक*	*11*
12	*55 से अधिक और 60 तक*	*33 से अधिक और 36 तक*	*12*
13	*60 से अधिक और 65 तक*	*36 से अधिक और 39 तक*	*13*
14	*65 से अधिक और 70 से कम*	*39 से अधिक और 42 से कम*	*14*

8. हालांकि, इच्छुक पार्टियां इस जांच के लिए प्रस्तावित पीयूसी/पीसीएन पर इस जांच के शुरू होने की तारीख से **20** दिनों के भीतर अपनी टिप्पणी/सुझाव दे सकती हैं।

ग. समान वस्तु

9. आवेदकों ने दावा किया है घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से निर्यातित उत्पाद में कोई खास अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से निर्यातित उत्पादन में कोई अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिक, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं। प्राधिकारी ने पूर्ववर्ती जांच में यह माना था कि घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पाद संबद्ध देश से भारत में आयात किए जा रहे उत्पाद के समान वस्तु है। वर्तमान आवेदन मूल पाटनरोधी शुल्क का समय बढ़ाने के लिए समीक्षा हेतु है और चूंकि वर्तमान और मूल जांच के लिए विचाराधीन उत्पाद समान है, इसलिए प्रथमदृष्टया यह माना गया है कि घेरलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु 'समान वस्तु' हैं।

घ. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

10. यह आवेदन मैसर्स ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जय श्री टेक्सटाइल्स) और सिंटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदकों ने प्रमाणित किया है कि उन्होंने न तो संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयात किया है और न ही वे संबद्ध देश से किसी निर्यातक/उत्पादक या भारत में आयातक से संबंधित हैं। प्राधिकारी ने याचिका की जांच की है और भारत में संबद्ध वस्तु के कुल उत्पादन को नोट करने के बाद यह पाया कि याचिकाकर्ता का उत्पादन विचाराधीन उत्पाद के कुल भारतीय उत्पादन का "एक प्रमुख हिस्सा" बनता है, इसलिए याचिकाकर्ता स्थिति को पूरा करता है और एडी नियमावली के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग है।

ड. संबद्ध देश

11. वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में शामिल देश चीन जन.गण. है।

च. जांच की अवधि

12. वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि (पीओआई) अक्तूबर **2021**-सितंबर **2022** (**12** माह) की है। क्षति जांच अवधि में **2019-20, 2020-21, 2021-22,** और जांच की अवधि शामिल होगी। जांच की अवधि से बाहर के आंकड़ों की भी पाटन और क्षति की संभावना के निर्धारण हेतु जांच की जा सकती है।

छ. सामान्य मूल्य

13. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि चीन को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और चीन के मामले में सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-**I** के पैरा **7** और **8** के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।

14. याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया है कि संबद्ध देश के घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की लागत और कीमतों के बारे में जानकारी/साक्ष्य जुटाने के प्रयास किए गए थे। संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु की घरेलू कीमतों के बारे में सार्वजनिक डोमेन में विश्वसनीय सूचना की उपलब्धता के अभाव में संबद्ध देश में सामान्य मूल्य का अनुमान कच्ची सामग्री और

सुविधाओं के लिए घरेलू उद्योग के खपत मानकों पर विचार करते हुए तथा उसे बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा लाभ सहित विधिवत् रूप से समायोजित करके उत्पादन लागत के आधार पर लगाया गया है। प्राधिकारी ने प्रथमदृष्टया इस जांच के प्रयोजनार्थ याचिकाकर्ताओं द्वारा यथा-उपलब्ध कराए गए परिकलित मूल्यों के आधार पर संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य पर विचार किया है।

15. तथापि, प्रश्नावली का उत्तर देते समय उत्पादकों/निर्यातकों को घरेलू बाजार में और भारत तथा अन्य देशों को निर्यात में संबद्ध वस्तु के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री से संबंधित बाजार दशाओं के प्रचलित होने को दर्शाना होगा। इस प्रयोजनार्थ उत्पादक/निर्यातक स्पष्ट कर सकते हैं और निम्नलिखित के संबंध में पर्याप्त सूचना दे सकते हैं:

क) कीमत, लागत, कच्ची सामग्री सहित निविष्टियों, प्रौद्योगिकी और श्रम की लागत, उत्पादन, बिक्री और निवेश के संबंध में निर्णय राज्य के किसी खास हस्तक्षेप के बिना लिए जाते हैं और क्या प्रमुख निविष्टियों की लागत पर्याप्त रूप से बाजार मूल्य दर्शाती है।

ख) उत्पादन लागत और वित्तीय स्थिति में कोई विकृति नहीं है।

ग) उत्पादक/निर्यातक दिवालियापन और संपत्ति कानूनों के अधीन हैं जो फर्मों के प्रचालन के लिए कानूनी निश्चितता और स्थिरता की गारंटी देते हैं।

घ) विनिमय दर परिवर्तन बाजार दर पर किए जाते हैं।

16. हितबद्ध पक्षकारों को उनकी टिप्पणियां देने और अनुबंध-I के पैरा 7 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति के संबंध में विधिवत रूप से साक्षांकित दावे इस अधिसूचना में विहित समय सीमा के भीतर करने की सलाह दी जाती है।

ज निर्यात कीमत

17. आवेदकों ने गौण स्रोत के आकड़ों में सूचित सीआईएफ कीमत पर विचार करते हुए संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत परिकलित की है। समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, पत्तन व्यय, बैंक प्रभार, अंतरदेशीय भाड़ा और कमीशन के लिए कीमत समायोजन किए गए हैं। आवेदकों द्वारा दावा की गई निर्यात कीमत इस जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ प्रथमदृष्टया स्वीकार्य है।

झ पाटन मार्जिन

18. ऊपर निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए यह नोट किया गया है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से अधिक है। इस बात के प्रथमदृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य निवल निर्यात कीमत से अधिक है जिससे पता चलता है कि संबद्ध देश की मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु पाटित कीमतों पर निर्यातित की जा रही है और इस प्रकार निरंतर पाटन का पता चलता है।

ञ. क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना

19. मौजूदा शुल्कों के बावजूद पाटन की संभावना और संबद्ध देश से निरंतर पाटित आयातों के कारण परिणामी क्षति की आशंका, चीन के उत्पादकों की भारी क्षमता, अधिक निर्यातोन्मुख होना, चीन के उत्पादकों द्वारा तीसरे देश में पाटन, भारतीय बाजार की कीमत आकर्षकता, भारतीय उद्योग की संवेदनशीलता, भारतीय मांग के संबंध में संबद्ध देश से भारी क्षतिकारी निर्यात, आयातों के संभावित ह्रासकारी प्रभाव और शुल्कों की समाप्ति की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति होने के प्रथमदृष्टया साक्ष्य हैं। आवेदकों द्वारा दी गई सूचना प्रथमदृष्टया संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटन की संभावना और पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति के मामले में घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना दर्शाती है।

ट. निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत

20. आवेदकों के विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन के आधार पर और पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने/उनकी पुनरावृति होने की संभावना को सिद्ध करते हुए आवेदकों द्वारा प्रस्तुत प्रथमदृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्वंय को संतुष्ट करने के बाद तथा नियमावली के नियम 23 (1ख) के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार प्राधिकारी एतद्द्वारा संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु पर लागू शुल्क को जारी रखने की जरूरत की समीक्षा करने और इस बात की जांच करने कि क्या मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से

पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृति होने की संभावना है, एतद्वारा निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत करते हैं।

ठ. प्रक्रिया

21. वर्तमान समीक्षा जांच में अधिसूचना सं. 6/3/2018/डीजीएडी दिनांक 18 सितम्बर, 2018 द्वारा प्रकाशित अंतिम जांच परिणाम के सभी पहलू शामिल हैं। प्राधिकारी पाटन और क्षति का एक संभावना विश्लेषण भी करेंगे।

22. संबंधित नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधान आवश्यक संशोधनों के साथ इस समीक्षा पर लागू होंगे।

ड. सूचना प्रस्तुत करना

23. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देजर, निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों adgl6-dgtr@gov.in, और advl3-dgtr@gov.in तथा उसकी प्रति jd16-dgtr@gov.in और dd15-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ड फार्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो ।

24. संबद्ध देश के ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।

25. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी ऊपर पैरा 23 में उल्लिखित ई-मेल पतों पर नीचे दी गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।

26. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार के लिए अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराने हेतु उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

27. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए वे निर्दिष्ट प्राधिकारी की अधिकारिक वैबसाइट अर्थात http://www.dgtr.gov.in को नियमित रूप से देखते रहें।

ढ. समय सीमा

28. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस (30) दिनों के भीतर ई-मेल पतों adgl6-dgtr@gov.in, advl3-dgtr@gov.in, jd16-dgtr@gov.in, और dd15-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए। तथापि यह नोट किया जाए कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाने वाले नोटिस को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसे भेजे जाने या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को उसे दिए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुआ मान लिया जाएगा। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

29. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है।

ण. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

30. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में जारी व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उपर्युक्त का पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकृत किया जा सकता है।

31. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

32. "गोपनीय" या "अगोपनीय" अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

33. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

34. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई(यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नही है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है। अन्य हितबद्ध पक्षकार दस्तावेज के अगोपनीय अंश की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर गोपनीयता के दावे संबंधी अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

35. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

36. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

37. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

त. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

38. सभी पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डी जी टी आर की वैबसाइट पर इस अनुरोध के साथ अपलोड की जाएगी कि वे अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय अंश ई-मेल कर दें क्योंकि वर्तमान वैश्विक कोविड-19 महामारी के कारण सार्वजनिक फाइल भौतिक रूप में उपलब्ध नहीं रहेगी।

थ. असहयोग

39. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi 31st March 2023

(Case no. AD (SSR) 02/2023)

Subject : Initiation of sunset review investigation of anti-dumping duty on import of "Flax Yarn of Below 70 Lea Count" originating in or exported from China PR.

1. F. No. 7/03/2023-DGTR – Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping duty on Dumped Articles for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Rules" or the "Anti-Dumping Rules"), M/s Grasim Industries Limited (Jaya Shree Textiles) and Sintex Industries Ltd. (hereinafter referred to as the "applicants" or "domestic industry") have filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the "Authority"), for a

sunset review of the anti-dumping duty imposed on imports of "Flax Yarn of below 70 Lea Count" (hereinafter referred to as the "product under consideration" or "PUC" or the "subject goods"), originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the "subject country").

2. In terms of Section 9A, (5) of the Act, the anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have an effect on the expiry of five years from the date of such imposition and the Authority is required to review whether the expiry of the duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. In accordance with the same, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry as to whether the expiry of duty is likely to lead to the continuation or recurrence of dumping and injury.

A. Background of the previous investigation

3. The Authority initiated an original investigation and notified the final finding recommending definitive anti-dumping duties on imports of the subject goods from the subject country vide Notification No. 6/3/2018/DGAD dated 18th September 2018. The Central Government thereafter imposed anti-dumping duties vide Customs Notification No. 53/2018-Customs (ADD) dated 18th October 2018. The said duties were imposed for a period of 5 years. The duties are set to expire on 17th October 2023.

B. Product Under Consideration (PUC)

4. The product under consideration in the present investigation is the same as defined in the original investigation which is as follows:

"7. The product under consideration for the purpose of present investigation is "Flax Yarn of below 70 Lea Count (equivalent to 42 Nm)".

8. Flax Yarn is a natural cellulosic fiber having naturally antimicrobial, antifungal properties. The Yarn is generally made out of the 100% flax fiber and is called Linen Yarn or Flax Yarn. The flax fiber can also be blended with other fibers for making flax yarn or linen yarn. The primary use of flax yarn is in making flax fabric. Flax fabric is used for apparel and in home textiles.

9. All other natural cellulosic fibers such as cotton, hemp, jute and ramie are beyond the scope of product under consideration for the purpose of present investigations. Flax yarn of 70 and above lea is specifically excluded from the scope of the product under consideration."

5. Flax Yarn is classified under Chapter 53 (Other vegetable textile fibres; paper yarn and woven fabrics of paper yarn) of the Customs Tariff Act under heading 5306 and subheading 53061090 and 53062090. The HS codes are considered only indicative and the product description is decisive for the purpose of the present investigation.

6. The present investigation being a sunset review investigation, the product under consideration remains the same as defined in the previously conducted investigation F. No.6/3/2018-DGAD dated 18th September 2018.

B.1. Product Control Number (PCN)

7. The applicants have proposed the same PCNs as was considered in the original investigation as follows:

SN	***Lea Category***	***Nm Category***	***PCN***
1	*Upto 5 lea*	*Upto 3 Nm*	*01*
2	*Above 5 and upto 10*	*Above 3 and upto 6*	*02*
3	*Above 10 and upto 15*	*Above 6 and upto 9*	*03*
4	*Above 15 andupto 20*	*Above 9 and upto 12*	*04*
5	*Above 20 and upto 25*	*Above 12 and upto 15*	*05*
6	*Above 25 and upto 30*	*Above 15 and upto 18*	*06*
7	*Above 30 and upto 35*	*Above 18 and upto 21*	*07*
8	*Above 35 and upto 40*	*Above 21 and upto 24*	*08*
9	*Above 40 and upto 45*	*Above 24 and upto 27*	*09*
10	*Above 45 and upto 50*	*Above 27 and upto 30*	*10*
11	*Above 50 and upto 55*	*Above 30 and upto 33*	*11*
12	*Above 55 and upto 60*	*Above 33 and upto 36*	*12*

13	*Above 60 and upto 65*	*Above 36 and upto 39*	*13*
14	*Above 65 and Less than 70*	*Above 39 and Less than 42*	*14*

8. The interested parties, however can provide their comments/suggestions on the proposed PUC/PCNs for the purpose of this investigation within 20 days from the date of initiation of this investigation.

C. Like Article

9. The applicants have claimed that there is no difference in the product produced by the domestic industry and the one exported from the subject country. The product produced by the domestic industry and imported from the subject country are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing, and tariff classification of the goods. The Authority in the previous investigation held that the products being manufactured by the domestic industry is like article to the product being imported into India from the subject country. The present application is for review of the extension of original anti-dumping duty and since the product under consideration for the present and original investigation is the same, it is prima facie considered that the subject goods produced by the domestic industry and the subject goods imported from the subject country is "like article".

D. Domestic industry and standing

10. The application has been filed by M/s Grasim Industries Limited (Jaya Shree Textiles) and Sintex Industries Ltd. The applicants have certified that they have neither imported the subject goods from the subject country nor are they related to any exporter/producer from the subject country or importers in India. The Authority examined the petition and after noting the total production of the subject goods in India, found that the production of the petitioners accounts for “a major proportion” in the total Indian production of the product under consideration, thus the petitioners satisfies the standing and constitutes domestic industry within the meaning of the AD Rules.

E. Subject Country

11. The country involved in the present sunset review investigation is China PR.

F Period of Investigation

12. The period of investigation (POI) for the present investigation is October 2021-September 2022 (12 Months). The injury investigation period will cover the periods 2019 – 20, 2020 – 21, 2021 – 22, and the period of investigation. The data beyond the period of investigation may also be examined to determine the likelihood of dumping and injury.

G. Normal Value

13. The petitioners have claimed that China should be treated as a non-market economy and normal value in case of China should be determined in accordance with Para 7 and 8 of Annexure I of the Rules.

14. The petitioners have submitted that efforts were made to get information/evidence about cost and prices of the subject goods in the domestic market of the subject country. In the absence of availability of reliable information in the public domain on domestic prices of the subject goods in the subject country, the normal value in the subject country has been estimated on the basis of cost of production, considering consumption norms of the domestic industry for raw material and utilities, duly adjusted including selling, general and administrative expenses and profit. The Authority has prima-facie considered the normal value of the subject goods in subject country on the basis of constructed values as made available by the petitioners for the purpose of this initiation.

15. However, while submitting the questionnaire response producers/exporters may have to demonstrate prevalence of market conditions related to manufacturing, production, and sales of subject goods in the domestic market and in export to India and other countries. For this purpose, the producer/exporter, may clarify and provide sufficient information on the following:

    a) Decision in regard to price, cost, input including raw material, cost of technology and labour, output, sales and investment, are without significant state interference and whether cost of major inputs substantially reflect market value.

    b) Production costs and financial situation does not suffer for any distortion.

    c) The producer/exporter are subject to bankruptcy and property laws which guarantees legal certainty and stability for the operation of the firms.

    d) Exchange rate conversions are carried out at the market rate.

16. The interested parties are advised to offer their comments and make duly substantiated claims with regard to the methodology to be adopted for the determination of normal value, having regard to the provisions of Para 7 of Annexure – I within the time limits prescribed in this notification.

H. Export Price

17. The applicants have computed the export price of the subject goods by considering the CIF price reported in the secondary source data. The price adjustments have been made on account of ocean freight, marine insurance, port expenses, bank charges, inland freight and commission. Export price claimed by the applicants is prima facie acceptable for the purpose of initiation of the investigation.

I. Dumping Margin

18. Considering the normal value and export price determined above, the dumping margin has been determined, It is noted that the dumping margin is above the de minimis level. There is prima facie evidence that the normal value of the subject goods in the subject country is higher than the net export price, indicating that the subject goods originating in or exported from the subject country are being exported at dumped prices, thus, indicating continued dumping.

J. Likelihood of continuation or recurrence of Injury

19. There is prima facie evidence of the likelihood of dumping and consequent injury on account of continued dumped imports from the subject country in spite of the existing duties, significant excess capacities of Chinese producers, high export orientation, third-country dumping by Chinese producers, price attractiveness of the Indian market, the vulnerability of the Indian industry. The information provided by the applicants, prima facie, shows the likelihood of dumping of the subject goods from the subject country, and the likelihood of injury to the domestic industry in case of cessation of the anti-dumping duty.

K. Initiation of the sunset review investigation

20. On the basis of the duly substantiated application of the applicants, and having satisfied itself, on the basis of the prima facie evidence submitted by the applicants, substantiating the likelihood of continuation/recurrence of dumping and injury, and in accordance with Section 9A(5) of the Act read with Rule 23 of the Rules, the Authority hereby initiates a sunset review investigation to review the need for the continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject country to examine whether the expiry of existing anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

L. Procedure

21. The present review investigation covers all aspects of the final findings published vide Notification No. 6/3/2018/DGAD, dated 18th September 2018. The Authority will also undertake a likelihood analysis of dumping and injury.

22. The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, and 20 of the Rules supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.

M. Submission of Information

23. In view of the special circumstances arising out of the COVID-19 pandemic, all communication should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses adg16-dgtr@gov.in and adv13-dgtr@gov.in with copy to jd16-dgtr@gov.in and dd15-dgtr@gov.in. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS Word format and data files are in MS Excel format.

24. The known exporters in the subject country, the Government through its Embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.

25. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below on the email addresses mentioned in Para 23 above.

26. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.

27. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Designated Authority https://www.dgtr.gov.in/ for any updated information with respect to this investigation.

N. Time Limit

28. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses adg16-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, jd16-dgtr@gov.in, and dd15-dgtr@gov.in within thirty (30) days from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to

have been received within one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.

29. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

O. Submission of information on a confidential basis

30. Any party making any confidential submission or providing information on a confidential basis before the Authority is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/submissions.

31. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately.

32. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.

33. The confidential version shall contain all information that is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information that is claimed to be confidential by nature or information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

34. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority. The other interested parties can offer their comments on the confidentiality claimed within 7 days of receiving the non-confidential version of the document.

35. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

36. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

37. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

P. Inspection of Public File

38. A list of all registered interested parties will be uploaded on DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties since the public file will not be accessible physically due to ongoing global Covid-19 pandemic.

Q. Non-cooperation

39. In the case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA